



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Dated: 02.01.2025

No. AAI/JVC/RTI/2024/1487

To,

Sh. Keshav Ram

Subject: Information under Right to Information Act, 2005

Sir,

Reference may kindly be made to your following RTIs for providing information under RTI Act 2005.

- 1) RTI Regn. no. AAOIN/R/T/24/00548 dated 12.12.2024 received by this office on dated 12.12.2024.
- 2) RTI Regn. no. AAOIN/R/T/24/00550 dated 12.12.2024 received by this office on dated 12.12.2024.
- 3) RTI Regn. no. AAOIN/R/T/24/00556 dated 16.12.2024 received by this office on dated 16.12.2024.


The information sought by you and reply thereof is as under:

S. No.	Information Sought	Reply
1	1) यह है कि दिनांक 28-11-2024 नई दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल -3 Domestic flight Air India Express, flight No IX 1101, Time morning 06:40 AM, gate No 42C booth point final checking flight staff द्वारा यात्रीयों का पहचान पत्र एवं टिकट & बोर्डिंग पास चेक करके फ़ाइनल फ़्लाइट में बैठने के लिए बस में फ़्लाइट स्टाफ़ द्वारा यात्रीयों को जाने दिया जाता है कि मुख्य एवं अंतिम Gate No 42 C दिनांक 28-11-2024 टर्मिनल 3 पर था का सुबह 06:00AM बजे से 06:40AM तक का लगे cctv footage camera कि औडियो एवं विडिओ रिकॉर्डिंग देने का कष्ट करें।	मांगी गई सूचना दिल्ली हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ़ के कार्यों से संबंधित है या उससे निकटता से संबंधित है, जो एक अलग सार्वजनिक प्राधिकरण है। अतः, आरटीआई अनुरोध को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत नोडल अधिकारी, सीआईएसएफ़, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली, दिल्ली 110037 को इस अनुरोध के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है कि आवेदक को अपेक्षित सूचना सीधे इस कार्यालय को सूचित करते हुए उपलब्ध कराई जाए।
	2) Domestic flight Air India Express, flight No IX 1101, टर्मिनल - 3 एयरपोर्ट नई दिल्ली से यह फ़्लाइट लखनऊ जाने के लिए अंतिम समय फ़्लाइट का मुख्य Gate बंद कर उड़ान भरने के लिए फ़्लाइट तैयार किया गया का रिकार्ड अभिलेखों अनुसार समय सारणी का उल्लेख करें एवं प्रति रिकार्ड अनुसार देने का कष्ट करें। 3) एयरपोर्ट अथॉरिटी नई दिल्ली के शासनदेश अनुसार यात्रीयों के लिए दिए गए नियम सम्बन्ध में यात्री	मांगी गई जानकारी दिल्ली हवाई अड्डे पर संबंधित एयरलाइनों के कार्यों से संबंधित है या उनसे निकटता से जुड़ी हुई है, जो एक तृतीय पक्ष है। इसलिए, आरटीआई अनुरोध को नोडल अधिकारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें

बोर्डिंग पास प्राप्त उपरांत मुख्य सिक््युरिटी चेकिंग एवं मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक अन्य समान चेकिंग के बाद मुख्य गेट उड़ान पॉइंट बूथ के गेट पर पहुँच जाता है नियम अनुसार वह यात्री को फ्लाइट स्टाफ फ्लाइट में न ले जाने के लिए समय उपलब्ध होने के उपरांत भी समय का आधार बनाकर मना करने के लिए अधिकृत है रिकार्ड अनुसार उल्लेख करने का कष्ट करें।	अनुरोध किया गया है कि आवेदक को आवश्यक जानकारी सीधे इस कार्यालय को सूचित करते हुए उपलब्ध कराई जाए।
---	---

In case, the applicant is not satisfied with the reply, he/she may file an appeal to the Sh. L. Kuppulingam, Executive Director (PPP/JVC), First Appellate Authority, Airports Authority of India (AAI), Joint Venture Cell, C – Block, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, NewDelhi-110003, under section 19(1) of the RTI Act within the time limit specified in the RTI Act.

Yours sincerely



(Kamal Deep Sehgal)
General Manager,
Joint Venture Cell // CPIO

Copy to:

- 1, Nodal Officer, CISF, IGI Airport, New Delhi, Delhi 110037 with a request to provide the requisite information to the applicant directly under intimation to this office.
2. Nodal Officer, Air India Express Limited, Block-4, Vatika One on One, Sector-16, NH-48, Industrial Estate, Gurugram, Haryana- 122007 with a request to provide the requisite information to the applicant directly under intimation to this office.